तत्काल
तिथिबद्ध

क्रमांकः 46/5/2000–5पोल0
हरियाणा सरकार
मुख्य सचिव कार्यालय
राजनैतिक एवं संसदीय कार्य विभाग

दिनांक 12 अगस्त, 2021

सेवा में

1. आयुक्त, अम्बाला/रोहतक/गुरूग्राम/हिसार/फरीदाबाद/करनाल मण्डल ।
2. हरियाणा के सभी उपायुक्त ।
3. हरियाणा के सभी उपमण्डल अधिकारी (नागरिक)

विषयः– **15 अगस्त, 2021 को स्वतन्त्रता दिवस समारोह पर ध्वजारोहण करने बारे ।**

महोदय/महोदया,

उपरोक्त विषय पर मुझे यह सूचित करने का निर्देश हुआ है कि आगामी स्वतन्त्रता दिवस समारोह 15 अगस्त, 2021 को पूर्व वर्षों की भान्ति हर्षोल्लास, जोश और उत्साह एवं गौरवपूर्ण ढंग से आयोजित करने तथा राज्य के विभिन्न स्थानों पर ध्वजारोहण प्रातः 9:00 बजे के तुरन्त बाद करने का निर्णय लिया गया है ।

2. **माननीय राज्यपाल महोदय 15 अगस्त, 2021 को 'स्वतन्त्रता दिवस' के अवसर पर गुरूग्राम में ध्वजारोहण करेंगे और 15 अगस्त, 2021 की शाम को गुरूग्राम में 'एट होम' होगा ।**

3. माननीय मुख्यमन्त्री महोदय, उप मुख्यमंत्री, अध्यक्ष, हरियाणा विधान सभा, मंत्रीगण/उपाध्यक्ष, हरियाणा विधान सभा/राज्य मंत्रीगण/अधिकारीगण उनके नामों के आगे लिखे स्थानों पर ध्वजारोहण करेंगे :–

क्रमांक संख्या	महानुभावों के नाम	जिला
1.	श्री मनोहर लाल खट्टर, मुख्यमन्त्री	फरीदाबाद
2.	श्री दुष्यंत चौटाला, उप मुख्यमंत्री	महेन्द्रगढ
3.	श्री ज्ञांन चन्द गुप्ता, अध्यक्ष, हरियाणा विधान सभा	करनाल
4.	श्री अनिल विज, स्वास्थ्य मंत्री	अम्बाला
5.	श्री कंवर पाल, शिक्षा मंत्री	चरखी दादरी
6.	श्री मूलचन्द शर्मा, परिवहन मंत्री	पलवल
7	श्री रणजीत सिंह, विद्युत मंत्री	फतेहाबाद
8.	श्री जय प्रकाश दलाल, कृषि मंत्री,	पंचकूला
9.	डॉ0 बनवारी लाल, सहकारिता मंत्री	पानीपत
10.	श्री रणबीर गंगवा, उपाध्यक्ष, हरियाणा विधान सभा	भिवानी
11.	श्री औम प्रकाश यादव, राज्य मंत्री, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता	यमुनानगर
12.	श्रीमति कमलेश डांडा, राज्य मंत्री, महिला बाल विकास	हिसार
13.	श्री अनुप धानक, राज्य मंत्री, पुरातत्व एवं संग्रहालय	रेवाडी
14.	श्री संदीप सिंह, राज्य मंत्री, खेल एवं युवा मामले	नूँह
15.	आयुक्त, करनाल मंडल	कैथल
16.	आयुक्त, रोहतक मंडल	रोहतक
17.	आयुक्त, हिसार मंडल	सिरसा
18.	उपायुक्त, कुरूक्षेत्र	कुरूक्षेत्र
19.	उपायुक्त, जींद	जींद
20.	उपायुक्त, झज्जर	झज्जर
21.	उपायुक्त, सोनीपत	सोनीपत

4. इसी प्रकार मंडल/जिला/उपमंडल/ब्लॉक/पंचायत मुख्यालय/बडे ग्रांम स्तर पर भी समारोह आयोजित होंगे । **यदि उपरोक्त महानुभावों/अधिकारीगण में से कोई उक्त स्थानों पर किन्ही कारणों से नही पहुँच पाता तो वहां सम्बन्धित उपायुक्त ध्वजारोहण करेंगे** । उपमंडल/तहसील मुख्यालयों पर यह कार्य सम्बन्धित उपमण्डल अधिकारी (नागरिक)/तहसीलदार करेगें ।

5. इस संबंध में गृह मंत्रालय, भारत सरकार, द्वारा दिनांक 03.08.2021 तथा हरियाणा राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण द्वारा दिनांक 09.08.2021 को जारी प्रकिया/उपायों एवं हिदायतों का दृढ़ता से पालन किया जाए । (प्रति सलंग्न)

भवदीय

अधीक्षक राजनैतिक ।
कृतेः मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार ।

पृ0 कमांक 46/5/2000–5पोल दिनांक चण्डीगढ 12 अगस्त, 2021

एक प्रति हरियाणा राज्य के सभी अतिरिक्त मुख्य सचिवों/प्रधान सचिवों/विभागाध्यक्षों एवं पंजाब तथा हरियाणा उच्च न्यायालय के रजिस्ट्रार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही के लिये भेजी जाती है ।

अधीक्षक राजनैतिक ।
कृतेः मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार ।

पृ0 कमांक 46/5/2000–5पोल दिनांक चण्डीगढ 12 अगस्त, 2021

एक प्रति राज्यपाल, हरियाणा के सचिव को उनके अर्ध सरकारी पत्र कमांक HRB-VA-55(2)/-2005/4324 dated 29th July, 2021 के सदर्भ में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही के लिये भेजी जाती है ।

अधीक्षक राजनैतिक ।
कृतेः मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार ।

पृ0 कमांक 46/5/2000–5पोल दिनांक चण्डीगढ 12 अगस्त, 2021

एक प्रति सचिव, हरियाणा विधान सभा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही के लिये भेजी जाती है ।

अधीक्षक राजनैतिक ।
कृतेः मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार ।

पृ0 कमांक 46/5/2000–5पोल दिनांक चण्डीगढ अगस्त, 2021

एक–एक प्रति मुख्य मंत्री/मुख्य मंत्री के मुख्य प्रधान सचिव/प्रधान सचिव/अतिरिक्त प्रधान सचिव/उप प्रधान सचिव (आशिमा बराड़)/प्रधान विशेष कार्य अधिकारी (नीरज दफतुआर), विशेष कार्य अधिकारी (सतीश कुमार)/विशेष कार्य अधिकारी (भूपेश्वर दयाल)/विशेष कार्य अधिकारी (सुधाशु गोतम)/श्री योगेन्द्र चौधरी, सलाहकार, आर0म0/मुख्यमंत्री कार्यालय/उप मुख्यमंत्री/अध्यक्ष, उपाध्यक्ष हरियाणा विधान सभा/मंत्रीगण/राज्य मंत्रीगण/मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार के विशेष वरिष्ठ सचिव/वरिष्ठ सचिवों/सचिवों/निजि सचिवों को सूचनार्थ भेजी जाती है ।

अधीक्षक राजनैतिक ।
कृतेः मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार ।

पृ0 कमांक 46/5/2000–5पोल दिनांक चण्डीगढ 12 अगस्त, 2021

एक प्रति निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही के लिये भेजी जाती है :–

1. महानिदेशक, सूचना एवं लोक सम्पर्क विभाग, हरियाणा ।
2. महानिदेशक, उच्चतर शिक्षा, हरियाणा।
3. निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, हरियाणा ।
4. निदेशक, प्राथमिक शिक्षा, हरियाणा ।
5. महानिदेशक, पुलिस, हरियाणा ।

अधीक्षक राजनैतिक ।
कृतेः मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार ।

अति तत्काल

सं. 2/6/2021-पब्लिक
भारत सरकार
गृह मंत्रालय
*****

नॉर्थ ब्लॉक,नई दिल्ली
दिनांक, 03 अगस्त, 2021

सभी राज्य सरकारों के मुख्य सचिव और सभी संघ राज्य क्षेत्रों के प्रशासक।

विषय: 15 अगस्त, 2021 को स्वतंत्रता दिवस समारोह

महोदय/महोदया,

प्रत्येक वर्ष, स्वतंत्रता दिवस, हर्षोल्लास, जोश और उत्साह के साथ मनाया जाता है। इस वर्ष भी, स्वतंत्रता दिवस को समुचित ढंग से मनाया जाएगा। हालांकि, कोविड–19 महामारी के फैलाव के मद्देनजर, स्वतंत्रता दिवस समारोह के लिए विभिन्न कार्यक्रमों या गतिविधियों का आयोजन करते समय, कुछ बचाव के उपायों का पालन करना आवश्यक है जैसे सामाजिक दूरी बनाए रखना, मास्क पहनना, समुचित सेनेटाइजेशन व्यवस्था, बड़ी सभाओं से बचना, कमजोर (vulnerable) व्यक्तियों की रक्षा करना तथा गृह मंत्रालय एवं स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जारी COVID-19 से संबंधित सभी दिशा निर्देशों का पालन करना आदि। इसलिए, सभी कार्यक्रमों को इस तरह से आयोजित किया जाना चाहिए कि बड़ी सभाओं से बचा जा सके और प्रौद्योगिकी का इस्तेमाल करके इस राष्ट्रीय पर्व को भव्य तरह से मनाया जाए। आयोजित कार्यक्रम वेब-कास्ट द्वारा उन लोगों तक पहुंचाया जा सकता है, जो आयोजित कार्यक्रम में भाग नहीं ले सकते है।

2. उपरोक्त बाध्यताओं और एहतियाती कदमों को ध्यान में रखते हुए, दिल्ली में स्वतंत्रता दिवस समारोह में निम्नलिखित आयोजन शामिल होंगे: -

(i) लाल किले पर आयोजित समारोह में सशस्त्र बलों और दिल्ली पुलिस द्वारा प्रधान मंत्री को गार्ड ऑफ ऑनर दिया जाना, राष्ट्रगान की धुन बजाने के साथ-साथ राष्ट्रीय ध्वज का फहराया जाना, 21 तोपों की सलामी दिया जाना, भारतीय वायु सेना के हेलिकॉप्टरों द्वारा पुष्प वर्षा, प्रधान मंत्री का भाषण, प्रधान मंत्री के भाषण के तुरंत बाद राष्ट्रगान का गायन, और अंत में तीन रंग के गुब्बारों को छोड़ा जाना।

(ii) राष्ट्रपति भवन में "एट होम" स्वागत समारोह।

3. राज्यों / संघ राज्य क्षेत्रों में अलग-अलग स्तरों पर स्वतंत्रता दिवस के समारोह के आयोजन के लिए दिशा-निर्देशों को अगले पैरा में शामिल किया गया है:

2

4. इस दिन राज्य/संघ राज्य क्षेत्रों में निम्नलिखित कार्यक्रम आयोजित किए जा सकते हैं: -

राज्य स्तर:

(i) राज्य / संघ राज्य क्षेत्र की राजधानियों में प्रात: काल (9.00 बजे के पश्चात) समारोह का आयोजन जिसमें मुख्यमंत्री द्वारा राष्ट्रीय ध्वज का फहराया जाना; राष्ट्रीय गान का गायन; अर्ध सैन्य बलों, होमगार्डों, एनसीसी, स्काउटों आदि सहित पुलिस द्वारा गार्ड ऑफ आनर दिया जाना; मुख्यमंत्री का भाषण और राष्ट्रीय गान का गायन।

(ii) कोविड -19 महामारी के मद्देनजर, समारोह में बड़ी सभाओं से बचा जाना चाहिए। यह आवश्यक है कि सामाजिक दूरी मानदंड, मास्क पहनना आदि का पालन किया जाए।

(iii) कोविड -19 महामारी के विरुद्ध लड़ाई में उनकी महान सेवा की मान्यता के रूप में डॉक्टरों, स्वास्थ्यकर्मियों, स्वच्छताकर्मियों आदि जैसे कोविड -19 योद्धाओं को समारोह में आमंत्रित किया जाए। कोविड -19 संक्रमण से ठीक हुए कुछ व्यक्तियों को भी आमंत्रित किया जा सकता है।

जिला स्तर:

(i) जिला स्तर पर प्रात: काल (9.00 बजे के पश्चात) उक्त समारोह मनाया जा सकता है जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ मंत्री/ आयुक्त/ जिला मजिस्ट्रेट द्वारा राष्ट्रीय ध्वज का फहराया जाना, राष्ट्रीय गान की धुन बजाना; राज्य पुलिस कर्मियों, होम गार्डों/ एनसीसी, स्काउटों द्वारा परेड; मंत्री/ आयुक्त/ जिला मजिस्ट्रेट का भाषण जिसमें 15 अगस्त के महत्व को स्पष्ट करना तथा देश की एकता और अखंडता के प्रति कार्य करने के लिए जनसमुदाय को प्रेरित करना और राष्ट्रीय गान का गायन आदि।

(ii) कोविड -19 महामारी के मद्देनजर, समारोह में बड़ी सभाओं से बचा जाना चाहिए। यह आवश्यक है कि सामाजिक दूरी मानदंड, मास्क पहनना आदि का पालन किया जाए।

(iii) कोविड -19 महामारी के विरुद्ध लड़ाई में उनकी महान सेवा की मान्यता के रूप में डॉक्टरों, स्वास्थ्यकर्मियों, स्वच्छताकर्मियों आदि जैसे कोविड -19 योद्धाओं को समारोह में आमंत्रित किया जाए। कोविड -19 संक्रमण से ठीक हुए कुछ व्यक्तियों को भी आमंत्रित किया जा सकता है।

सब डिवीजन स्तर/ब्लाक स्तर:

(i) मंत्री/ सब डिवीजन मजिस्ट्रेट द्वारा (प्रात: 9.00 बजे के पश्चात) राष्ट्रीय ध्वज का फहराया जाना; राष्ट्रीय गान की धुन बजाना; गणमान्य व्यक्ति द्वारा भाषण जिसमें 15 अगस्त की महत्ता को स्पष्ट किया जाए; देश की एकता और अखंडता के प्रति कार्य करने के लिए जनसमुदाय को प्रेरित करना, राष्ट्रीय ध्वज का फहराया जाना और राष्ट्रीय गान का गायन आदि।

(ii) कोविड -19 महामारी के मद्देनजर, समारोह में बड़ी सभाओं से बचा जाना चाहिए। यह आवश्यक है कि सामाजिक दूरी मानदंड, मास्क पहनना आदि का पालन किया जाए।

(iii) कोविड -19 महामारी के विरुद्ध लड़ाई में उनकी महान सेवा की मान्यता के रूप में डॉक्टरों, स्वास्थ्यकर्मियों, स्वच्छताकर्मियों आदि जैसे कोविड -19 योद्धाओं को समारोह में आमंत्रित किया जाए। कोविड -19 संक्रमण से ठीक हुए कुछ व्यक्तियों को भी आमंत्रित किया जा सकता है।

<u>पंचायत मुख्यालय/ बड़े ग्राम स्तर:</u>

(i) सरपंच/ गांव के मुखिया द्वारा (प्रात: 9.00 बजे के पश्चात) राष्ट्रीय ध्वज का फहराया जाना; राष्ट्रीय गान का गायन; सरपंच/गांव के मुखिया का भाषण जिसमें 15 अगस्त की महत्ता को स्पष्ट किया जाए तथा देश की एकता और अखंडता के प्रति कार्य करने के लिए जनसमुदाय को प्रेरित किया जाय; और राष्ट्रीय गान का गायन आदि।

(ii) कोविड -19 महामारी के मद्देनजर, समारोह में बड़ी सभाओं से बचा जाना चाहिए। यह आवश्यक है कि सामाजिक दूरी मानदंड, मास्क पहनना आदि का पालन किया जाए।

(iii) कोविड-19 महामारी के विरुद्ध लड़ाई में उनकी महान सेवा की मान्यता के रूप में डॉक्टरों, स्वास्थ्यकर्मियों, स्वच्छताकर्मियों आदि जैसे कोविड -19 योद्धाओं को समारोह में आमंत्रित किया जाए। कोविड -19 संक्रमण से ठीक हुए कुछ व्यक्तियों को भी आमंत्रित किया जा सकता है।

5. सभी राज्यों की राजधानियों / जिला / ब्लॉक स्तरों पर राष्ट्रीय ध्वज फहराना सुनिश्चित किया जाना चाहिए।

6. स्वतंत्रता दिवस पर राज्यपाल/ उपराज्यपाल सम्बंधित द्वारा राजभवन/ राज निवास में "एट होम" स्वागत समारोह आयोजित करने के संबंध में, राज्यपाल/ उपराज्यपाल विवेकानुसार निर्णय ले सकते हैं। हालांकि, कोविड-19 महामारी के मद्देजनर, कुछ बचाव के उपायों का पालन करना आवश्यक है, जैसे कि सामाजिक दूरी बनाए रखना, मास्क पहनना, समुचित सेनेटाइजेशन व्यवस्था, बड़ी सभाओं से बचना, कमजोर (vulnerable) समूहों की रक्षा करना, और अन्य उपाय आदि जो गृह मंत्रालय एवं स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा निर्धारित और अनुशंसित हैं। कोविड -19 महामारी के विरुद्ध लड़ाई में उनकी महान सेवा की मान्यता के रूप में डॉक्टरों, स्वास्थ्यकर्मियों, स्वच्छताकर्मियों आदि जैसे कोविड -19 योद्धाओं को समारोह में आमंत्रित किया जाए। कोविड -19 संक्रमण से ठीक हुए कुछ व्यक्तियों को भी आमंत्रित किया जा सकता है।

7. स्वतंत्रता आंदोलन से जुड़े ऐतिहासिक महत्व के स्थानों पर पुलिस/ सैन्य बैंड के प्रदर्शन को रिकॉर्ड किया जा सकता है; और रिकॉर्ड किए गए संस्करणों को बड़ी स्क्रीन/ डिजिटल मीडिया के माध्यम से, सार्वजनिक कार्यक्रमों के दौरान और सोशल मीडिया पर प्रदर्शित किया जा सकता है।

8. दिन के अन्य कार्यक्रमों में कई गतिविधियाँ शामिल हो सकती हैं; जैसे वृक्षारोपण; डिजिटल प्लेटफॉर्मस पर इंटर-स्कूल/ इंटर कॉलेज बहस; ऑनलाइन प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता/ देशभक्ति निबंध लेखन और कविता प्रतियोगिताएँ; महत्वपूर्ण योजना का शुभारंभ, देशभक्ति के गीत गाना/ सोशल मीडिया पर चयनित बालक/ बालिकाओं द्वारा देशभक्ति के विषयों पर सम्बोधन/ देशभक्ति के गीत गाना/ सरकारी भवनों/ राज्य भवनों आदि पर प्रकाश व्यवस्था; विषयगत वेबिनार; एनएसएस और एनवाईकेएस द्वारा देशभक्ति तथा सम्बंधित विषयों पर ऑनलाइन अभियान; और राज्य सरकार/ संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन द्वारा उचित समझी जाने वाली कोई अन्य गतिविधि। स्वतंत्रता दिवस मनाने के अन्य नवीन तरीकों पर भी विचार किया जा सकता है जैसे डिजिटल और सोशल मीडिया प्लेटफार्मों के माध्यम से देशभक्ति या राष्ट्रीय एकीकरण सम्बन्धित संदेशों/ गीतों का प्रचार, महत्वपूर्ण सार्वजनिक भवनों की प्रकाश व्यवस्था/ साउंड शो, छतों/ बालकॉनी में लोगों द्वारा राष्ट्रीय झंडे लहराना, आदि।

9. यह उचित होगा कि स्वतंत्रता दिवस समारोह के दौरान कार्यक्रमों द्वारा और सोशल मीडिया पर विभिन्न गतिविधियों/ संदेशों के माध्यम से "आत्मनिर्भर भारत" के विषय को उपयुक्त रूप से जनसमुदाय के बीच प्रचारित और प्रसारित किया जाए।

भवदीय,

[राकेश कुमार सिंह]
संयुक्त सचिव, भारत सरकार
दूरभाष: 011-23094927

2/6/2021-पब्लिक दिनांक, 30 जुलाई, 2021

सूचनार्थ प्रेषित प्रतिलिपि:

1. सभी राज्यों के मुख्य सचिव/सभी संघ राज्य क्षेत्रों के राज्यपाल/उपराज्यपाल
2. भारत सरकार के सभी मंत्रालय/विभाग
3. राष्ट्रपति सचिवालय
4. उपराष्ट्रपति सचिवालय
5. प्रधानमंत्री कार्यालय
6. रजिस्ट्रार, उच्चतम न्यायालय
7. रजिस्ट्रार, दिल्ली उच्च न्यायालय
8. मंत्रिमंडल सचिवालय
9. राज्य सभा सचिवालय
10. लोक सभा सचिवालय
11. नीति आयोग, संसद मार्ग, नई दिल्ली
12. भारत का निर्वाचन आयोग
13. संघ लोक सेवा आयोग
14. भारत के नियंत्रक महालेखाकार का कार्यालय
15. केन्द्रीय सतर्कता आयोग
16. विश्व विद्यालय अनुदान आयोग
17. राष्ट्रीय अनुसूचितजाति आयोग
18. राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग
19. राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग
20. राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी आयोग
21. राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग
22. राष्ट्रीय महिला आयोग
23. राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग
24. प्रबंधक, भारतीय रिजर्व बैंक, नई दिल्ली
25. प्रबंधक, भारतीय स्टेट बैंक, संसद मार्ग, नई दिल्ली
26. दिल्ली/नई दिल्ली स्थित गृह मंत्रालय के सभी संवद्ध और अधीनस्थ कार्यालय
27. प्रशासन-।।। अनुभाग- गृह मंत्रालय

(प्रेम प्रकाश)
अवर सचिव, भारत सरकार
दूरभाष: 011-23092421

2/6/2021-पब्लिक

दिनांक, 03 अगस्त, 2021

सूचनार्थ प्रेषित प्रतिलिपि:

1. सभी राज्यों के मुख्य सचिव/सभी संघ राज्य क्षेत्रों के राज्यपाल/उपराज्यपाल
2. भारत सरकार के सभी मंत्रालय/विभाग
3. राष्ट्रपति सचिवालय
4. उपराष्ट्रपति सचिवालय
5. प्रधानमंत्री कार्यालय
6. रजिस्ट्रार, उच्चतम न्यायालय
7. रजिस्ट्रार, दिल्ली उच्च न्यायालय
8. मंत्रिमंडल सचिवालय
9. राज्य सभा सचिवालय
10. लोक सभा सचिवालय
11. नीति आयोग, संसद मार्ग, नई दिल्ली
12. भारत का निर्वाचन आयोग
13. संघ लोक सेवा आयोग
14. भारत के नियंत्रक महालेखाकार का कार्यालय
15. केन्द्रीय सतर्कता आयोग
16. विश्व विद्यालय अनुदान आयोग
17. राष्ट्रीय अनुसूचितजाति आयोग
18. राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग
19. राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग
20. राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी आयोग
21. राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग
22. राष्ट्रीय महिला आयोग
23. राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग
24. प्रबंधक, भारतीय रिजर्व बैंक, नई दिल्ली
25. प्रबंधक, भारतीय स्टेट बैंक, संसद मार्ग, नई दिल्ली
26. दिल्ली/नई दिल्ली स्थित गृह मंत्रालय के सभी संवद्ध और अधीनस्थ कार्यालय
27. प्रशासन-।।। अनुभाग- गृह मंत्रालय

प्रेम प्रकाश

(प्रेम प्रकाश)
अवर सचिव, भारत सरकार
दूरभाष: 011-23092421

Government of Haryana
Haryana State Disaster Management Authority

No. DMC-SPO-2020/8788 Dated: 09.08.2021

ORDER

Whereas, vide order No. DMC-SPO-2020/8743 dated 08.08.2021, the State Executive Committee extended the **Mahamari Alert–Surakshit Haryana** 'महामारी अलर्ट–सुरक्षित हरियाणा' for a fortnight, i.e., from 09.08.2021 (05:00 am onwards) to 23.08.2021 (till 05:00 am) in the State of Haryana alongwith guidelines to be implemented (during this period).

Whereas, vide letter No. 2/6/2021-Public, dated 03.08.2021, Ministry of Home Affairs, GoI has released instructions regarding Independence Day Celebrations on August 15, 2021 (copy enclosed) and desired that the same may be organized at State, District and Sub-Divisional Levels with grandeur, gaiety, fervor and enthusiasm alongwith the requisite preventive and precautionary measures to contain the COVID-19 pandemic.

Therefore, in exercise of the powers conferred under Section 22(2)(h) of the Disaster Management Act, 2005, the undersigned in my capacity as Chairperson, State Executive Committee hereby orders that gatherings of invitees/spectators at the District/Sub-Divisional level Independence Day functions to be held on August 15, 2021 in the State shall not be of more than 1000 persons subject to strict observance of requisite social distancing, COVID-19 appropriate behavioural norms and wearing of masks. It is also advised that these functions be held preferably in Stadiums/Police Lines/open spaces which have a seating capacity of more than 5000 persons so that adequate social distancing norms could be observed.

All Deputy Commissioners are hereby directed to work out the modalities of implementing the above mentioned guidelines strictly in consonance with the instructions of Ministry of Home Affairs, GoI dated 03.08.2021, in letter and in spirit.

(VIJAI VARDHAN)
Chief Secretary-cum-Chairperson
Haryana State Executive Committee

To

1. All Administrative Secretaries in the State of Haryana.
2. The Director General of Police.
3. All Deputy Commissioners in the State of Haryana.

Note: - HSDMA orders can be seen at our website https://revenueharyana.gov.in/. Any message not on the website may be treated as fake.